

प्रतिलिपि :- यह आदेश, आदेश पत्रिका में जो कि न्यायालय माखनलाल झोड़ द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन पत्र क्रमांक-बी.ए. 17/2018, धारा 439 दं.प्र.सं. के संदर्भ में आज दिनांक 21.02.2018 को पारित किया गया, जिसके पक्षकार निम्नानुसार है :-

- 1- जयलाल पिता दयाल धुर्वे जाति गोंड
 - 2- हीरालाल उर्फ पाटू पिता भादू जाति गोंड
दोनों निवासी लिमोटी थाना मलाजखण्ड
चौकी पाथरी तहसील बैहर जिला बालाघाट
- - - आवेदकगण ।
// विरुद्ध //

म.प्र.शासन द्वारा :-आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड चौकी पाथरी
जिला-बालाघाट - - - - अनावेदक ।
- -0- -

{आदेश दिनांक 21/1/2018 की प्रतिलिपि}

आवेदकगण द्वारा श्री पी0एन0 शुक्ला अधिवक्ता उपस्थित ।
राज्य द्वारा श्री अभिजीत बापट ए.पी.पी. उपस्थित ।
जमानत आवेदन क्रमांक बी.ए. 17/2018 पर आवेदकगण की ओर से श्री पी0एन0 शुक्ला अधिवक्ता ने बल न देना व्यक्त किया ।

अतः बल न देने से जमानत आवेदन पत्र क्रमांक 17/2018 निरस्त किया जाता है ।

आदेश की एक प्रति संबंधित थाने को भेजी जावे ।

यह आवेदन पंजी से निरस्त कर, परिणाम दर्ज कर अभिलेख अभिलेखागार भेजा जावे ।

सही / -

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर

प्रतिलिपि : संबंधित थाने की ओर एक प्रति सूचनार्थ प्रेषित ।

सही / -

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर